रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2015/माघ 21, 1936
No. 35] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2015/MAGHA 21, 1936

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2015

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त होने वाले कार्बन ब्लैक" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत- संबंधी

फा. संख्या 14/9/2014-डीजीएडी.—वर्ष 1995 और तत्पश्चात यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियम भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

2. यत: मै. फिलिप्स कार्बन ब्लैक लि. और मै. हाई-टेक कार्बन (जिन्हें आगे आवेदक भी कहा गया है) ने अधिनियम और नियमों के अनुसार संयुक्त रूप से घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें कोरिया गणराज्य (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त होने वाले कार्बन ब्लैक" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति का आरोप लगाया गया है। उन्होंने प्राधिकारी से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और उस पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

3. और यत: प्राधिकारी पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं। प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

<u>घरेलू उद्योग एवं स्थिति</u>

4. मै. फिलिप्स कार्बन ब्लैक लि. और मै. हाई-टेक कार्बन द्वारा आवेदन दायर किया गया है जो पूर्व जांच में घरेलू उद्योग रहे हैं। आवेदक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत में संबद्ध वस्तु के तीन अन्य उत्पादक अर्थात मै. कॉंटिनेन्टल कार्बन इंडिया लि., हिमाद्री केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज़ लि. और मै. गुडलक कार्बन ब्लैक प्रा. लि. हैं। इन घरेलू उत्पादकों ने न तो वर्तमान याचिका का समर्थन किया है और न ही विरोध। याचिका से यह नोट किया गया है कि भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन में इन उद्योगों के उत्पादन का हिस्सा 79.27% है, अत: नियमानुसार भारतीय उत्पादन में उनका प्रमुख हिस्सा बनता है।

5. आवेदकों द्वारा किए गए अभ्यावेदन के अनुसार, किसी भी आवेदक कंपनी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। यह भी अनुरोध किया गया है कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक लि. संबद्ध वस्तु के किसी भी निर्यातक या आयातक से संबंधित नहीं है। तथापि, हाई-टेक कार्बन जो कि आदित्य बिड़ला ग्रुप का हिस्सा है, की संबद्ध देश में संबंधित कंपनी है जो संबद्ध वस्तु के उत्पादन और निर्यात में संलग्न है। यह भी सूचित किया गया है कि संबद्ध देश में स्थित उक्त कंपनी ने जांच अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तु का गौण मात्रा में निर्यात किया है। संबंधित कंपनियों द्वारा किए गए निर्यात को गौण मानते हुए प्राधिकारी फिलिप्स कार्बन ब्लैक लि. के साथ हाई-टेक कार्बन को नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग मानते हैं और याचिका को नियमावली के नियम 5 के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंड के अनुरूप मानते हैं।

<u>विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु</u>

6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त होने वाला कार्बन ब्लैक (सेमी कंडक्टिव कंपाउंड अनुप्रयोगों के लिए आशयित थर्मल ब्लैक तथा कार्बन ब्लैक ग्रेडों को छोड़कर) है। कार्बन ब्लैक अकार्बनिक रसायन है जिसका प्रयोग पुन:प्रबलित फिलर के रूप में रबड़ के उत्पादन/प्रसंस्करण (टायरों सहित) में होता है। कार्बन ब्लैक को एसिटिलीन ब्लैक, चैनल ब्लैक, फर्नेस ब्लैक, लैम्प ब्लैक, थर्मल ब्लैक और नॉयर डी कार्बोन के रूप में भी जाना जाता है। कार्बन ब्लैक को दो श्रेणियों रबड़ एवं गैर-रबड़ अनुप्रयोगों में बांटा जा सकता है। रबड़ अनुप्रयोगों के लिए कार्बन ब्लैक वह कार्बन ब्लैक है जिसका प्रयोग पुन:प्रबलित फिलर के रूप में रबड़ के उत्पादन/प्रसंस्करण (टायरों सहित) में होता है। वर्तमान जांच केवल रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक से संबंधित है। गैर-रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त होने वाला कार्बन ब्लैक जैसे कॉपियरों एवं कम्प्यूटर प्रिंटर काट्रिजेज़ में इंक, पेंट्स, क्रेयॉन्स एवं पॉलिशेज़ तथा सेमी कंडक्टिव कंपाउंड अनुप्रयोगों के लिए अभिप्रेत थर्मल ब्लैक एवं कार्बन ब्लैक ग्रेड वर्तमान जांच के दायरे में नहीं हैं।

7. संबद्ध वस्तु को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 के अंतर्गत उप शीर्ष-28030010 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

<u>समान वस्तु</u>

8. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:

"ऐसी वस्तु जो भारत में पाटित किए जाने के लिए जांचाधीन वस्तु से हर तरीके से समनरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में ऐसी दूसरी वस्तु जो यद्यपि हर प्रकार से समान नहीं है तथापि उसमें जांचाधीन वस्तुओं से अत्यधिक मिलती-जुलती विशेषताएं हैं;"

9. आवेदकों ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तु के "समान वस्तु" है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद में वास्तविक और रसायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण आदि जैसे मापदंडों के रूप में सदृश हैं। अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं के रूप में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु आयातित संबद्ध

वस्तु के समान है। अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

शामिल देश

10. वर्तमान जांच में शामिल देश कोरिया गणराज्य है।

सामान्य मूल्य

11. आवेदकों ने निवेदन किया है कि संबद्ध देश के घरेलू बाजार में कीमत के संबंध में जानकारी/साक्ष्य जुटाने के उनके प्रयासों के बावजूद वे ऐसी कोई जानकारी नहीं जुटा पाए हैं। अत: आवेदक ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर प्रमुख निविष्टियों तथा बिक्री लागत के 5% की दर से लाभ हेतु विधिवत समायोजन करने के बाद भारत में उत्पादन लागत के आधार पर कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। आवेदक ने अलग-अलग ग्रेडों के लिए तथा जांच अवधि की प्रत्येक तिमाही के लिए अलग-अलग सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। वर्तमान जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा दावा किए गए सामान्य मूल्य पर विचार किया गया है।

निर्यात कीमत

12. आवेदकों ने भारत में आयातों की मात्रा एवं मूल्य का आकलन करने के लिए द्वितीयक स्रोत अर्थात आईबीआईएस से प्राप्त आयात आंकड़ों के आधार पर विचाराधीन उत्पाद हेतु निर्यात कीमत का दावा किया है। वर्तमान जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा किए गए दावे के अनुसार कीमत समायोजनों की अनुमति देकर आवेदकों द्वारा यथाप्रदत्त सौदे-वार आयात आंकड़ों पर विचार करके संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का आकलन किया गया है।

पाटन मार्जिन

13. कारखाना-द्वार स्तर पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे यह पता चलता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक परिकलित किया गया है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

14. आवेदकों ने पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत अवमूल्यन तथा घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, लगाई गई पूंजी पर आय, नकद प्रवाह में गिरावट आदि के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई "क्षति" के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही "क्षति" के ऐसे पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

जांच अवधि

15. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदकों ने 1 अप्रैल, 2013 से 30 मार्च, 2014 (12 माह) की जांच अवधि का प्रस्ताव किया है। अद्यतन आंकड़ों के आधार पर अपेक्षित विश्लेषण करने के लिए प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ निर्धारित जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2013 से 30 सितम्बर, 2014 तक (18 माह) की है। तथापि क्षति विश्लेषण अवधि में 2010-11, 2011-12, 2012-13 और जांच अवधि शामिल है।

जांच की शुरूआत

16. प्राधिकारी ने पाया है कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को 'क्षति' और कथित पाटन एवं 'क्षति' के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथम दृष्टया प्रमाण हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरूआत को उचित ठहराते हैं। अत: प्राधिकारी एतद्वारा कथित पाटन की उपस्थिति, मात्रा एवं प्रभाव की जांच करने और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग की 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमों के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को अनुवर्ती क्षति की जांच शुरू करते हैं।

सूचना प्रस्तुत करना

17. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित के रूप में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत

सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है-:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग,
नई दिल्ली – 110001

18. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकारों को उसका अगोपनीय अंश उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

समय-सीमा

19. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है ,तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

20. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस इस जांच की शुरूआत की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

21. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अभ्यावेदन के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सेटों में प्रस्तुत किया जाएगा (क) गोपनीय के रूप में अंकित एक सेट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय के रूप में अंकित एक सेट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)। दी गई समस्त वूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्सेक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

22. गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत की जाएंगी।

23. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है या ऐसी सूचना का सार संक्षेपण क्यों संभव नहीं है।

24. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहने हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में यदि गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित करते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है तो, प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

25. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

26. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को

स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार पर उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

27. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

28. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING & ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2015

Subject: Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of 'Carbon Black used in rubber applications', originating in or exported from Republic of Korea.

F. No. 14/9/2014-DGAD - Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the Rules);

2. Whereas, M/s Phillips Carbon Black Limited and M/s Hi-Tech Carbon (hereinafter also referred to as the applicants) have jointly filed an application on behalf of the domestic industry before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Act and the Rules, alleging dumping of "Carbon Black used in rubber applications" (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from Republic of Korea (hereinafter also referred to as the subject country), and injury to the domestic industry. They have requested the Authority to initiate anti-dumping investigations against the imports of the subject goods from the subject country and impose anti-dumping duty.

3. And whereas, the Authority finds that prima facie evidence of dumping of subject goods by the subject country, injury to the domestic industry and causal link between the dumping and injury exists. The Authority hereby initiates an anti-dumping investigation into the alleged dumping, and consequential injury to the domestic industry in terms of the Rule 5 of the Anti-dumping Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Domestic Industry & Standing

4. The application has been filed by M/s. Phillips Carbon Black Limited and M/s. Hi-Tech Carbon who constituted the domestic industry in the earlier investigations. As informed by the applicants, there

are three other producers of subject goods in India namely M/s. Continental Carbon India Limited, Himadri Chemicals and Industries Limited and M/s Good luck Carbon Black Pvt. Ltd. These domestic producers have neither supported nor opposed the present petition. From the petition it is noted that the applicant industries' production accounts for 79.27% of the production of the subject goods in India, hence constituting a major proportion in Indian production, as per the Rules.

5. As submitted by the applicants, none of the applicant companies have imported the subject goods from the subject country. It has been further submitted that Phillips Carbon Black Limited is not related to any exporter or importer of the subject goods. However, Hi-Tech Carbon belonging to Aditya Birla Group has related company in the subject country, involved in the production and export of subject goods. It has been further informed that the said related company in the subject country has exported an insignificant volume of subject goods to India during the POI. Considering the exports made by the related company as insignificant, the Authority considers Hi-Tech Carbon, along with Phillips Carbon Black Limited, as domestic industry, within the meaning of Rule 2(b) and considers the petition as satisfying the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra

Product under Consideration and Like Article

6. The product under consideration in the present investigation is Carbon Black used in rubber applications (excluding Thermal Black and Carbon black grades meant for semi conductive compound applications). Carbon Black is an inorganic chemical used in the production/processing of rubber (including tyres) as reinforcing filler. Carbon Black is also known as acetylene black, channel black, furnace black, lamp black, thermal black, and noir de carbone. Carbon Black can be divided into two categories rubber and non-rubber applications. Carbon Black for rubber applications is the Carbon Black that is used in production/processing of rubber (including tyres), as a reinforcing filler. The present investigation is in respect of Carbon Black used in rubber applications only. Carbon Black used in non-rubber applications, such as inks in copiers and computer printer cartridges, paints, crayons and polishes and thermal black and carbon black grades meant for semi conductive compound applications are not within the scope of the present investigation.

7. The subject goods fall under Chapter 28 of the Customs Tariff under Subheading No. 28030010. However, the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Like Article

8. Rule 2(d) with regard to like article provides as under:—

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

9. The applicants have claimed that the goods produced by them are "like articles" to the goods originating in or exported from the subject country. The subject goods produced by the domestic industry and imports from subject country are similar in terms of physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, tariff classification, etc. Subject goods produced by the domestic industry are identical to the imported subject goods in terms of essential product properties. Therefore, for the purpose of investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated as like articles to the subject goods imported from subject country within the meaning of the Rules.

Country Involved

10. The country involved in the present investigation is Republic of Korea.

Normal value

11. The applicants have submitted that despite their efforts to get information/evidence of price of subject goods in the domestic market of subject country, they have not been able to get such information. The applicants have therefore constructed normal value for Korea RP on the basis of cost of production in India after making due adjustments for the major inputs at international prices and profits at 5% of cost of sales. The applicants have determined separate normal value for different grades and for each of the quarters of the period of investigation. The Normal value claimed by the applicants has been considered for the purpose of initiation of the present investigation.

Export Price

12. The applicants have claimed export price for the product under consideration based on the basis of imports data procured from secondary source i.e. IBIS to assess the volume and value of imports into India. Export price of the subject goods from the subject country has been estimated by considering transaction-wise import data as provided by the applicants, after allowing price adjustments as claimed by the applicants, for the purpose of initiation of the present investigation.

Dumping Margin

13. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level and it has been found that the normal value of the subject goods in the subject country is higher than the ex-factory export price, indicating, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country. The dumping margin is estimated to be above de minimis.

Injury and Causal Link

14. The applicants have furnished evidence regarding the 'injury' having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports, price undercutting, price underselling, price suppression and decline in profitability, return on capital employed, cash flow, etc. of the domestic industry. There is prima facie evidence of 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from the subject country to justify initiation of an antidumping investigation.

Period of investigation

15. The applicants have proposed the Period of Investigation (POI) for the purpose of the present investigation as 1st April, 2013 – 30th March, 2014 (12 Months). For making required analysis based on more updated data, the Authority has determined the Period of Investigation (POI) for the purpose of the present investigation as 1st April, 2013 – 30th September, 2014 (18 Months). However, injury analysis shall cover the years as 2010-11, 2011-12, 2012-13 and the POI.

Initiation

16. The Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country, 'injury' to the domestic industry and causal link between the dumping and 'injury' exist to justify initiation of an anti-dumping investigation. Therefore, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Anti-dumping Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Submission of Information

17. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

Government of India

Ministry of Commerce and Industry

Department of Commerce

Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties

4th Floor, Jeevan Tara Building

5, Parliament Street, New Delhi – 110001

18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

19. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

20. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of information on confidential basis

21. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

22. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

23. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

24. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out/summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

25. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not

warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

26. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file

27. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

28. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. K. DADOO, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.